भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, भोपाल

डेयरी प्लांट, हबीबगंज भोपाल– 462024
फोन :– (0755) 2478250 से 253 फेक्स :– 0755 – 2450896
e-mail : sanchi.bhopal@gmail.com

कोरीजेंडम

भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, भोपाल के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत भोपाल शहर के नया भोपाल/पुराना भोपाल/बी.एच.ई.एल. विपणन जोन में सांची आईसक्रीम वितरक सह– परिवहनकर्ता कार्य हेतु भौतिक रूप से आवेदन आमंत्रित किए गए थे। उक्त अभिरूचि की अभिव्यक्ति को प्रतिस्पर्धात्मक बनाए रखने के दृष्टिगत कोरीजेंडम जारी कर आवेदन जमा करने एवं खोलने की तिथि निम्नानुसार निर्धारित की जाती है। प्रतिभागी (इच्छुक एवं सक्षम) आवेदनकर्ता इस कार्य के नियम एवं शर्तों एवं स्थानों की विस्तृत जानकारी एमपीसीडीएफ भोपाल की वेबसाइट www.sanchidairy.com से प्राप्त कर सकते है। वितरक नियुक्ति कार्यवाही का विवरण इस प्रकार है।

स.क्र.	विवरण	कार्यवाही विवरण
1.	आवेदन प्रपत्र ऑनलाईन प्राप्त करने की तीथि एवं समय	दिनांक 03.04.2024 को www.sanchidairy.com से समय 12:00 बजे से निरंतर
2.	आवेदन प्रपत्र भौतिक रूप से जमा करने की अंतिम तिथि एवं समय	दिनांक 22.04.2024 को अपरान्ह 01:00 बजे तक, भोपाल सहकारी दुग्ध संघ, भोपाल
3.	आवेदन प्रपत्र के आवश्यक अर्हता खोलने की तिथि एवं समय	भोपाल दुग्ध संघ के सभा कक्ष में दिनांक 22.04.2024 को अपरान्ह 02:00 बजे से
4.	ईएमडी राशि	ईएमडी राशि रू. 100000/– (राशि रू. एक लाख मात्र)

उपरोक्त विवरण के अनुसार पहले प्रतिभागी आवेदनकर्ता को उपरोक्त दर्शित वेबसाइट से आवेदन पत्र ऑनलाइन डाउनलोड कर प्राप्त करना होगा फिर आवदेन पत्र में आइसक्रीम वितरक सह–परिवहनकर्ता के कार्य संबंधी वर्णित सभी आवश्यक अर्हताएं एवं शर्ते विस्तृत रूप से पढ़कर समझ ले एवं इसी के अनुरूप आवेदन प्रपत्र भरकर वांछित दस्तावेजो को संलग्न कर आवेदन पत्र के क्रय मूल्य रू.1000/– की राशि का डीडी/बैंकर्स चेक सहित निर्धारित तिथि एवं समय पर भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मे यथा वर्णित ईएमडी राशि सहित भौतिक रूप से जमा करें। प्राप्त आवेदन प्रपत्र में पहले आवश्यक अर्हताओं का परीक्षण किया जाएगा एवं इसके पश्चात् वितरक नियुक्ति की कार्यवाही की जाएगी। एक मार्ग के लिये, एक से अधिक आवेदन प्राप्त होने की स्थिति में (अंक तालिका पद्वति) Grading System अनुसार चयन किया जाएगा। एक से अधिक सफल आवेदनकर्ता की अंक तालिका समान होने पर चयन लॉटरी (Computer Randamisation) पद्धति के माध्यम से किया जाएगा।

सांची आईसक्रीम वितरक सह–परिवहनकर्ता की अनुबंध अवधि तीन वर्ष हेतु प्रभावशील रहेगी। उक्त अवधि पूर्ण होने पर सांची आईसक्रीम वितरक सह–परिवहनकर्ता का कार्य संतोषप्रद होने की दशा में मूल अनुबंध को अवधि को एक–एक वर्ष की अवधि हेतु निरंतर अनुबंध की समान शर्त पर बढ़ाये जाने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी महोदय भोपाल सहकारी दुग्ध संघ के पास निहित होगा।

यदि आवेदन में कोई सुधार/संशोधन किया जाता है तो यह केवल उपर दी गई मुख्यालय की वेबसाइट www.sanchidairy.com पर प्रकाशित होगा। कोई अन्य माध्यम से प्रकाशित नही किया जाएगा।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी

भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, भोपाल

डेयरी प्लांट, हबीबगंज भोपाल– 462024

फोन :– (0755) 2478250 से 253 फेक्स :– 0755 – 2450896

e-mail : sanchi.bhopal@gmail.com

षष्टम अभिरूचि की अभिव्यक्ति'

साँची आईसक्रीम वितरक सह–परिवहनकर्ता की नियुक्ति हेतु आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं।

भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, भोपाल के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत भोपाल शहर के नया भोपाल/पुराना भोपाल/बी.एच.ई.एल. विपणन जोन में सांची आईसक्रीम वितरक सह–परिवहनकर्ता कार्य हेतु भौतिक रूप से आवेदन आमंत्रित किए गए जाते है। प्रतिभागी (इच्छुक एवं सक्षम) आवेदनकर्ता इस कार्य के नियम एवं शर्तों एवं स्थानों की विस्तृत जानकारी एमपीसीडीएफ भोपाल की वेबसाइट www.sanchidairy.com से प्राप्त कर सकते है। वितरक नियुक्ति कार्यवाही का विवरण इस प्रकार है।

स.क्र.	विवरण	कार्यवाही विवरण
1.	आवेदन प्रपत्र ऑनलाईन प्राप्त करने की तीथि एवं समय	दिनांक 13.03.2024 को www.sanchidairy.com से समय 12:00 बजे से निरंतर
2.	आवेदन प्रपत्र भौतिक रूप से जमा करने की अंतिम तिथि एवं समय	दिनांक 02.04.2024 को अपरान्ह 01:00 बजे तक, भोपाल सहकारी दुग्ध संघ, भोपाल
3.	आवेदन प्रपत्र के आवश्यक अर्हता खोलने की तिथि एवं समय	भोपाल दुग्ध संघ के सभा कक्ष में दिनांक 02.04.2024 को अपरान्ह 02:00 बजे से
4.	ईएमडी राशि	ईएमडी राशि रू. 100000/– (राशि रू. एक लाख मात्र)

उपरोक्त विवरण के अनुसार पहले प्रतिभागी आवेदनकर्ता को उपरोक्त दर्शित वेबसाइट से आवेदन पत्र ऑनलाइन डाउनलोड कर प्राप्त करना होगा फिर आवदेन पत्र में आइसक्रीम वितरक सह–परिवहनकर्ता के कार्य संबंधी वर्णित सभी आवश्यक अर्हताएं एवं शर्ते विस्तृत रूप से पढ़कर समझ ले एवं इसी के अनुरूप आवेदन प्रपत्र भरकर वांछित दस्तावेजो को संलग्न कर आवेदन पत्र के क्रय मूल्य रू.1000/– की राशि का डीडी/बैंकर्स चेक सहित निर्धारित तिथि एवं समय पर भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मे यथा वर्णित ईएमडी राशि सहित भौतिक रूप से जमा करें। प्राप्त आवेदन प्रपत्र में पहले आवश्यक अर्हताओं का परीक्षण किया जाएगा एवं इसके पश्चात् वितरक नियुक्ति की कार्यवाही की जाएगी। एक मार्ग के लिये, एक से अधिक आवेदन प्राप्त होने की स्थिति में (अंक तालिका पद्वति) Grading System अनुसार चयन किया जाएगा। एक से अधिक सफल आवेदनकर्ता की अंक तालिका समान होने पर चयन लॉटरी (Computer Randamisation) पद्वति के माध्यम से किया जाएगा।

सांची आईसक्रीम वितरक सह–परिवहनकर्ता की अनुबंध अवधि तीन वर्ष हेतु प्रभावशील रहेगी। उक्त अवधि पूर्ण होने पर सांची आईसक्रीम वितरक सह–परिवहनकर्ता का कार्य संतोषप्रद होने की दशा में मूल अनुबंध को अवधि को एक–एक वर्ष की अवधि हेतु निरंतर अनुबंध की समान शर्त पर बढ़ाये जाने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी महोदय भोपाल सहकारी दुग्ध संघ के पास निहित होगा।

यदि आवेदन में कोई सुधार/संशोधन किया जाता है तो यह केवल उपर दी गई मुख्यालय की वेबसाइट www.sanchidairy.com पर प्रकाशित होगा। कोई अन्य माध्यम से प्रकाशित नही किया जाएगा।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी

क्रमांक ....

भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, भोपाल

भोपाल शहर में साँची आईस्क्रीम वितरक सह–परिवहनकर्ता कार्य हेतु आवेदन प्रपत्र वर्ष 2023–26

भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित
हबीबगंज डेयरी प्लांट, भोपाल – 462024
दूरभाष – 0755–2457017
E- mail : sanchi.bhopal@gmail.com

भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, भोपाल

डेयरी प्लांट हबीबगंज भोपाल

सांची आईसक्रीम वितरक सह–परिवहनकर्ता कार्य हेतु आवेदन प्रपत्र

1	आवेदन प्रपत्र जमा करने की अंतिम तिथि, समय एवं स्थान	02.04.2024 दोपहर 01:00 बजे तक भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, भोपाल
2	आवेदन खोलने की तिथि एवं समय	02.04.2024 अपरान्ह 2:00 बजे
3	आवेदन प्रपत्र का मूल्य	रू.1000/– (एक हजार रूपये मात्र)
4	आवेदन के साथ जमा की जाने वाली अमानत राशि	प्रत्येक आवेदन के साथ रू. 100,000/– (एक लाख मात्र) डी.डी./बैंकर्स चैक ''भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, भोपाल'' पेयबल एट भोपाल के नाम से देय हो
5	आवेदन खोलने का स्थान	मीटिंग हॉल, भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, हबीबगंज भोपाल

आवेदन प्रपत्र भरने हेतु ध्यान रखने योग्य तथ्यः–

1. प्रपत्र क्र.01 ''आईसक्रीम वितरक सह–परिवहनकर्ता कार्य की आवश्यक अर्हताऐं'', प्रपत्र क्र.02 ''आईसक्रीम वितरक सह–परिवहनकर्ता कार्य हेतु आवेदन की नियम व शर्तें'' एवं प्रपत्र क्र.03 ''आईसक्रीम वितरक कार्य हेतु आवेदन पत्र एक बंद लिफाफे में रखें लिफाफे पर लिफाफा A अंकित करें।
2. लिफाफा A एक अन्य लिफाफे में रखें एवं उस लिफाफे पर प्रतिभागी आवेदनकर्ता, अपना नाम, पता एवं जिस जोन हेतु आवेदन प्रस्तुत करना चाहते है स्पष्ट रूप से अंकित कर दुग्ध संघ कार्यालय में दिनांक 02.04.2024 को दोपहर 1.00 बजे तक जमा करें। आईसक्रीम वितरक कार्य हेतु सभी आवश्यक अर्हताएं सफल पाये जाने पर चयन प्रक्रिया संबंधि कार्यवाही प्रारंभ की जावेगी।

प्रपत्र क्र.01

प्रति,

मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्या.
भोपाल ।

महोदय,

भोपाल सहकारी दुग्ध संघ के कार्यक्षेत्र में भोपाल शहर के .... जोन में साँची आईसक्रीम वितरक सह–परिवहनकर्ता कार्य हेतु दिनांक .... को विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित आवेदन के संदर्भ में निवेदन करता हूँ कि मेरे द्वारा आवेदन प्रपत्र में वर्णित समस्त शर्ते एवं निर्देश पढ़ कर समझ लिए गए है। यदि दुग्ध संघ द्वारा मुझे कार्य आवंटित किया जाता है तो मैं दुग्ध संघ द्वारा निर्धारित शर्तो के अनुसार कार्य करने हेतु सहमत हूँ ।

स.क्र.	आवश्यक अर्हताए	विवरण	अनिवार्य दस्तावेज
1	आवेदनकर्ता का नाम (फर्म / कम्पनी / पार्टनशिप / एकल स्वामित्व)		आवेदनकर्ता का नाम (फर्म / कम्पनी / पार्टनशिप / एकल स्वामित्व) अंकित करे।
1.1	एकल स्वामित्व / भागीदारी / कंपनी की ओर से आवेदन भरने हेतु विधिक रूप से अधिकृत हो।		एकल स्वामित्व / कंपनी की ओर से आवेदन में हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति का अधिकार पत्र / मुखतारनामा की मूल प्रति जो नोटरी द्वारा सत्यापित व प्रमाणित हो। स्वामी / प्रोपाईटर द्वारा स्वयं आवेदन भरने की स्थिति में आवश्यक नहीं है ।
1.2	आवेदनकर्त्ता (फर्म / कम्पनी / एकल स्वामित्व / पार्टनरशिप फर्म) का पेन कार्ड नंबर होना अनिवार्य है।		पेन कार्ड की छायाप्रति संलग्न करें।
1.3	आवेदनकर्त्ता (फर्म / कम्पनी / एकल स्वामित्व / पार्टनरशिप फर्म) का जी.एस.टी. नंबर होना अनिवार्य है।		तदाशय के जी.एस.टी नम्बर की प्रति अनिवार्य रूप से संलग्न करें।
1.4	आवेदनकर्त्ता (फर्म / कम्पनी / एकल स्वामित्व / पार्टनरशिप फर्म) का वित्तीय वर्ष 2017–18, 2018–19, 2019–20, 2020–21 एवं 2021–22 का टर्न ओव्हर संलग्न करना अनिवार्य है।		तदाशय के विगत पांच वित्तीय वर्षों में संयुक्त रूप राशि रू.50000000 / – (पांच करोड़) या अधिक के टर्न ओव्हर की अंकेक्षित बैलेंस शीट की सी.ए से सत्यापित छायाप्रति संलग्न करे।
1.5	आवेदनकर्ता (फर्म / कम्पनी / एकल स्वामित्व / पार्टनरशिप फर्म) आवेदन प्रपत्र के प्रपत्र क्र.02 एवं 03 संलग्न करें।		आवेदनकर्ता (फर्म / कम्पनी / एकल स्वामित्व / पार्टनरशिप फर्म) आवेदन प्रपत्र के प्रपत्र क्र.02 एवं 03 संलग्न करें।
1.6	आवेदनकर्ता (फर्म / कम्पनी / एकल स्वामित्व / पार्टनरशिप फर्म) को किसी भी शासकीय / अशासकीय संस्था से कभी भी ब्लैक लिस्टेड न किया गया हो तथा पुलीस थाने / मा.न्यायालय में कोई आपराधिक प्रकरण दर्ज नहीं है।		तदाशय का शपथ पत्र रू 100 / – के नोटराईज्ड स्टॉम्प पर प्रस्तुत करें। आवेदन प्रपत्र के प्रपत्र 04 में प्रारूप अवलोकन हेतु संलग्न है।
1.7	आवेदनकर्ता (फर्म / कम्पनी / एकल स्वामित्व / पार्टनरशिप फर्म) को 05 वर्ष का आईसक्रीम वितरक सह–परिवहनकर्ता कार्य / वितरक कार्य का अनुभव होना अनिवार्य है।		तदाशय का संस्था / कम्पनी द्वारा जारी आईसक्रीम वितरक कार्य के आदेश की प्रति संलग्न करें एवं पांच वर्ष के अनुभव की प्रमाणिकता हेतु रू 100 / – के नोटराइज्ड स्टॉप पर शपथ पत्र संलग्न करें। शपथ पत्र का प्रारूप प्रपत्र क्र.05 पर संलग्न है।

1.8	आवेदनकर्ता (फर्म / कम्पनी / एकल स्वामित्व / पार्टनरशिप फर्म) आइसक्रीम वितरक / आईसक्रीम वितरक सह–परिवहनकर्ता कार्य का वैध एफ.एस. एस.ए.आई. लायसेंस की प्रति संलग्न करें।		तदाशय के वैध लायसेंस की छायाप्रति अनिवार्यतः संलग्न करे।
1.9	आवेदनकर्ता (फर्म / कम्पनी / एकल स्वामित्व / पार्टनरशिप फर्म) ई.एम.डी. राशि की डी.डी. संलग्न करना अनिवार्य है।		ई.एम.डी राशि रू.100000 / – (एक लाख रूपये) की डी.डी. जो कि पेयबल एट ''भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, भोपाल'' के नाम से देय होगी संलग्न करें।
1.10	आवेदनकर्ता (फर्म / कम्पनी / एकल स्वामित्व / पार्टनरशिप फर्म) बैंक का विवरण		चालू खाते की निरस्त चैक की स्वप्रमाणित प्रति संलग्न करें।
1.11	आवेदनकर्ता (फर्म / कम्पनी / एकल स्वामित्व / पार्टनरशिप फर्म) आवेदन प्रपत्र के क्रय मूल्य की राशि की डी.डी. के माध्यम से संलग्न करें।		तदाशय की रू.1000 / – डी.डी. जो कि पेयबल एट ''भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, भोपाल'' के नाम से देय होगी संलग्न करे।

नोट :– (1) उक्त समस्त दस्तावेजों की स्वप्रमाणित छायाप्रतियॉ संलग्न करना अनिवार्य है।
(2) उपरोक्त जानकारियों में से कोई भी जानकारी असत्य पाये जाने पर आवेदन निरस्त कर अमानत राशि राजसात की जा सकेगी ।

हस्ताक्षर ——————————————

नाम :– ——————————————

पता :– ——————————————

——————————————

——————————————

मोबाईल नं.——————————————

प्रपत्र क्र.02

आवेदन की नियम व शर्तें :–

1. भोपाल शहर के तीन जोन क्रमशः नया भोपाल, पुराना भोपाल एव बीएचईएल जोन स्थित पार्लर/एजेंसीयों में सांची आईसक्रीम के वितरण हेतु Zonewise आईसक्रीम वितरक सह–परिवहनकर्ता का चयन किया जाएगा। अर्थात एक जोन में एक आईसक्रीम वितरक सह–परिवहनकर्ता का चयन होगा। इस प्रकार भोपाल शहर के तीनों जोन में तीन आइसक्रीम वितरक सह–परिवहनकर्ता का चयन किया जाएगा।
2. आवेदनकर्ता तीन ज़ोन में स्थित आउटलेट्स की सूची आवेदन जमा करने की दिनांक से 05 दिवस पूर्व तक किसी भी कार्यालयीन दिवस में दुग्ध संघ की विपणन शाखा से प्राप्त कर सकते हैं।
3. चयन प्रक्रिया – सांची वितरक सह–परिवहनकर्ता कार्य के चयन हेतु निम्नानुसार Grading System (अंक तालिका) निर्धारित की गई है :–

2.1 आईसक्रीम वितरक सह–परिवहनकर्ता/आईसक्रीम वितरक कार्य के अनुभव के लिए 05 वर्ष निर्धारित हैं। पांच वर्ष के अनुभव होने पर प्रत्येक वर्ष के 02 अंक के मान से अधिकतम 10 अंक दिए जाएंगे।

2.2 वित्तीय वर्ष 2017–18, 2018–19, 2019–20, 2020–21, एवं 2021–22 में 05 वर्षों के संयुक्त रूप से कुल न्यूनतम टर्न ओव्हर रूपये 5 करोड़ निर्धारित किए गए हैं। प्रत्येक वित्तीय वर्ष में एक करोड़ के टर्न ओव्हर होने पर 04 अंक दिए जाएंगे, इस प्रकार कुल 05 वर्ष में अधिकतम 20 अंक दिए जाएंगे। यदि किसी आवेदनकर्ता का 05 वर्षों में संयुक्त रूप से टर्न ओव्हर रूपये 5 करोड़ से अधिक है तो प्रत्येक 1 करोड़ रूपये हेतु 04 अंक के मान से अधिकतम 20 अंक और दिए जाएंगे।

2.3 इस प्रकार ग्रेडिंग सिस्टम में कुल 50 अंक निर्धारित किए गए हैं।

2.4 चयन के दौरान एक जोन पर एक से अधिक सफल आवेदनकर्ता के अंक समान होने पर लॉटरी Computer Randamisation तकनीक से की जाएगी।

4. **आवेदनकर्ता के पास आइसक्रीम के वितरण हेतु स्वयं के नाम से न्यूनतम 05 रेफ्रिजरेटेड वाहन होना अनिवार्य है। आईसक्रीम के उचित प्रशीतन हेतु उत्कृष्ट गुणात्मक स्तर को बनाए रखने के लिए आइसक्रीम वाहन के रेफ्रिजरेशन का निम्नानुसार स्पेसिफिकेशन का होना अनिवार्य है।**

Description	Technical Particular
Applications	A refrigerated vehicle comprises of an insulated container body and a refrigeration unit to give the temprerature inside for the Icecream transpotation.
Temperature	+12 to -25^{0} C
Structure	The Body comprises of outer and inner panels should be of CR sheet/ stainless steel. The insulated material should be Poly Urethane Foam (PUF) having minimum density of 30 Lg/cub. Meter and minimum 100 mm thick. Load bearing column should be of HR steel as per IS 1079 having pressed formed sections. Proper lightening should be provided inside the cabin and thermal insulated container. No flurescent tube should used for lightening purpose.
Outer panel – roof and side walls	Minimum 1 mm CR sheets bonded with insulation
Inner Panel – side wall and ceiling	Minimum 0.3 mm stainless steel bonded with minimu 6mm marine grade ply wood. All joints should be sealed with a good quality sealants and fastened with SS screws.
Floor	Bottom most sheet should be minimum 0.6 mm GP sheets bonded with insulation. Upper layer should be of 12 mm (minimum) ply wood and top most layer of minimum 2 mm aluminium checkerd plate.
Door	Two leaves with outer and inner panels and insulation matching with box. It should be completely air sealed with FRP section and suitable EPDM rubber profile.
Door opening angle	Minimum 270^{0}

Foam Density	Minimum PUF 30 Kg/m^3
Thickness of insulation	Minimum 100 mm for side wall and 120 mm for roof and floor
Insulation thermal conductivity	Maximum 0.02 $5w/m^0K$
Hold Over Time	The container should hold the inside temperature at least for **four hrs** at the ambient temperature of 43^oC when it is not opened
Unit installation	The refrigeration unit is installed on the body above the cabin of the vehicle and gives a range of temperatures. The unit should be powered by self propelled truck engine. It should have suitable sized compressor, evaporater and control switches along with voltage stabilizer.
Temperature	The Temperature variation is from +12 deg Celsius to -25 deg Celsius
Temperature Recording	The temperature is digitally displayed and recorded by the us of data logger with an accuracy of +/-0.5^0C. The sensor should be placed inside the chamber and the recording should be displayed in the cabin.
Stand motor	A single phase stand by motor with a extension lead of 20 meters should be provided which should be powered by external electricity source; this electric motor will drive the compressor to maintain internal temperature at the desired level during extended stops and for pre-cooling the chamber.

5. समय–समय पर इंसुलेशन/रिफ्रिजरेशन की शीतलन क्षमता की स्थिति जानने हेतु दुग्ध संघ स्तर पर अधिकारियों की एक समिति बनाकर वाहन का निरीक्षण कराया जाएगा, जिसमें समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। आइसक्रीम का नियमानुसार तापमान पर परिवहन शीतलीकृत होने का समिति सत्यापन करेंगी। सत्यापन में सही इंसुलेशन/रेफ्रिजरेशन नहीं पाये जाने पर सफल आवेदक को 15 दिवस का अतिरिक्त समय दिया जाएगा, इस अवधि के पश्चात् भी इंसुलेशन/रिफ्रिजरेशन निर्धारित मापदंडों पर नहीं पाए जाने की स्थिति में दुग्ध संघ का निर्णय सर्वोपरि होगा।
6. आवेदन प्रपत्र के साथ आवेदक द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी किसी भी समय असत्य पाये जाने पर जमा ई.एम.डी. राशि राजसात करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी को होगा, साथ ही ऐसा आवेदन निरस्त समझा जावेगा एवं भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, भोपाल को होने वाले समस्त वित्तीय हानि की प्रतिपूर्ति दोषी प्रतिभागी/आवेदनकर्ता से वसूली योग्य होगा।
7. सफल आवेदनकर्ता को अनुबंध संबंधी औपचारिकताएं पूर्ण करने हेतु पत्र दिया जाएगा। इस पत्र के जारी होने के दिनांक से एक माह में समस्त औपचारिकताएं पूर्ण करना आवश्यक होगा। निर्धारित अवधि के पश्चात् औपचारिकताएं पूर्ण नहीं करने की स्थिति में दुग्ध संघ का निर्णय सर्वोपरि होगा।
8. सफल आवेदनकर्ता को रू.1000/– के नोटराईज्ड स्टाम्प पर अनुबंध एक माह में प्रस्तुत करना होगा। अनुबंध पत्र का प्रारूप प्रपत्र क्र.06 अवलोकन हेतु संलग्न है, जिसे केवल सफल आवेदनकर्ता को उसकी नियुक्ति के पश्चात् प्रस्तुत करना होगा।
9. सफल आवेदनकर्ता/आइसक्रीम वितरक सह–परिवहनकर्ता की अनुबंध अवधि तीन वर्ष हेतु प्रभावशील रहेगी। उक्त अवधि पूर्ण होने पर आइसक्रीम वितरक सह–परिवहनकर्ता की ओर से निवेदन एवं सहमति प्राप्त होने एवं उसका कार्य संतोषप्रद पाए जाने की दशा में एक–एक वर्ष कर अधिकतम कुल 02 वर्ष हेतु अनुबंध अवधि में वृद्धि आपसी सहमति से की जा सकेगी एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी, भोपाल सहकारी दुग्ध संघ, दुग्ध संघ के हितों में संवर्धन हेतु आवेदनकर्ता/आइस्क्रीम वितरक सह–परिवहनकर्ता की सहमति से मूल अनुबंध में नवीन शर्तों का भी समावेश कर सकते हैं।
10. सफल आवेदनकर्ता/आइसक्रीम वितरक सह–परिवहनकर्ता को बतौर प्रतिभूति राशि रू.500000/– (रूपये पांच लाख) जिसमें से 60 % नगद राशि का डिमांड ड्राफ्ट जो कि पेयबल एट " भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित,भोपाल के नाम से देय होगा एवं 40 % न राशि की संयुक्त एफडीआर के माध्यम से एक माह में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। बिना प्रतिभूति जमा किए निविदा अमान्य की जाएगी। ईएमडी राशि का प्रतिभूति राशि में समयायोजन किया जाएगा।
11. मध्य प्रदेश राज्य के MSME उद्यमियों के लिए ईएमडी राशि में छूट रहेगी। परंतु MSME उद्यमियों को ऑन लाईन MSME के रजिस्ट्रेशन की प्रति संलन करना अनिवार्य होगा। बिना रजिस्ट्रेशन के आवेदन अमान्य किया जाएगा।

12. आवेदनकर्ता/आइसक्रीम वितरक सह–परिवहनकर्ता को प्रतिदिन आइसक्रीम विक्रय राशि का अग्रिम भुगतान आर.टी.जी.एस (ई–पेमेंट) के माध्यम से दुग्ध संघ को करना होगा। ई–पेमेंट के माध्यम से प्राप्त भुगतान की जानकारी वित्त शाखा द्वारा विपणन शाखा को उपलब्ध कराने पर संबंधित वितरक को आइसक्रीम प्रदाय किया जायेगा। कार्य आदेश जारी होने के पूर्व वितरक को संघ के कार्यालय में स्वयं के प्रचलित बैंक खाते की स्वहस्ताक्षरित धनादेश पुस्तिका, जिसके धनादेश पत्रकों में तिथि व धनराशि के स्थान को रिक्त छोड़कर इस उद्देश्य हेतु जमा करनी होगी की शासकीय अवकाश अथवा स्वयं वितरक की भोपाल में अनुपस्थिति आदि जैसी अपरिहार्य परिस्थितियों में दुग्ध संघ द्वारा प्रदाय किए गए/किए जाने वाले आइसक्रीम की मूल्य राशियों को व आइसक्रीम प्रदाय की सुसंगत तिथियों को उक्त धनादेश में भरकर, बैंक में प्रस्तुत कर प्रदाय किए गए/किए जाने वाले दुग्ध उत्पादों की बकाया राशि का भुगतान प्राप्त किया जा सके व आइसक्रीम की वितरण निरंतरता निर्बाध बनी रहे। आवेदनकर्ता/आइसक्रीम वितरक सह–परिवहनकर्ता एवं उसके कर्मचारी/प्रतिनिधि को प्रत्येक बार आइसक्रीम के संदाय को प्राप्त करने के पूर्व ही, उसके जमा की गई धनादेश पुस्तिका को जारी करने वाले बैंक खाते में आवश्यक धनराशि की उपलब्धता सुनिश्चित करनी होगा। ताकि प्राप्त किए गए दुग्ध उत्पादों के मूल्य की राशि समय पर दुग्ध संघ को प्राप्त हो जाए।

13. आइसक्रीम की दर निर्धारित करने में दुग्ध संघ का पूर्णतः विशेषाधिकार रहेगा। दुग्ध संघ द्वारा निर्धारित रिटेलर दर पर अपने क्षेत्र के फुटकर विक्रेताओं को उनकी मांग के अनुसार निर्धारित समयावधि एवं तापमान पर विक्रेताओं तक पहुंचाना सफल आवेदनकर्ता को अनिवार्य होगा। दुग्ध संघ यदि भविष्य में, वर्तमान वितरक मार्जिन में कोई परिवर्तन करता है तो वह परिवर्तन वितरक को मान्य करना होगा, अपितु वितरक पर बंधनकारी भी होगा।

14. आइसक्रीम वितरक के प्रत्येक अनादरित धनादेश पर अर्थदंड निम्नानुसार वसूल किया जाएगा :–

a- रू. 20.00 लाख तक अनादरित धनादेश की कुल राशि पर धनादेश के निरादरित होने की तिथि से प्रथम 7 दिवस के लिए प्रत्येक दिन के अर्थदंड की राशि रू.1000/– के मान से होगी। रू.20.00 लाख से अधिक के धनादेश निरादरित होने पर अर्थदंड रू.2000/– प्रतिदिन के मान से वसूली योग्य होगा।

b- यदि धनादेश के जारी होने के दिनांक से प्रथम 7 दिवस के अंदर वितरक द्वारा लागू अर्थदंड के साथ दुग्ध संघ के खाते में राशि जमा नहीं की जाती है तो 8वें दिवस से 14वें दिवस के लिए अर्थदंड की राशि रू.20.00 लाख तक के धनादेश हेतु रू.2000/– प्रति दिवस के मान से वसूल की जाएगी एवं रू.20.00 लाख से अधिक के धनादेश हेतु रू.4000/– प्रति दिवस के मान से वसूल की जाएगी।

c- यदि इसके पश्चात् भी वितरक द्वारा मूल राशि के साथ–साथ लागू उक्त अर्थदंड की राशि दुग्ध संघ के खाते में जमा नहीं की जाती है तो 15वें दिवस से राशि जमा करने के दिनांक तक रू.20.00 लाख तक के धनादेश हेतु अर्थदंड की राशि रू.3000/– प्रति दिवस के मान से वसूल की जाएगी एवं रू.20.00 लाख से अधिक के धनादेश हेतु रू.6000/– प्रति दिवस के मान से वसूल की जाएगी।

d- वितरक के अनादरित धनादेश की मूल राशि के साथ–साथ लागू अर्थदंड की राशि को नगद में जमा करना सुनिश्चित किया जाएगा ताकि अर्थदंड की सही मान से गणना सुनिश्चित की जा सके तथा दुग्ध संघ को आर्थिक नुकसान से बचाया जा सके।

e- एक माह में किसी भी वितरक के अधिकतम 3 धनादेश अनादरित होने पर उनको आवंटित कार्य निरस्त कर दिया जायेगा, जिस हेतु वितरक स्वयं जवाबदेह होगा।

f- इसके अंतर्गत जैसे ही वितरक के खाते से 2 धनादेश अनादरित होते हैं, दुग्ध संघ द्वारा वितरक को सचेत करते हुए अंतिम चेतावनी जारी की जाएगी। तत्पश्चात् यदि तीसरा धनादेश भी अनादरित हो जाता है तो इस स्थिति में संबंधित वितरक को सूचित करते हुए उसका कार्य आवंटन आदेश तत्काल निरस्त किया जाएगा तथा वसूली हेतु आवश्यक न्यायालयीन कार्यवाही की जायेगी।

15. किसी भी प्रकार की वित्तीय अनियमितता/दुग्ध संघ विरोधी गतिविधियों/दुग्ध संघ की नीतियों के विरूद्ध कार्य करते पाये जाने पर संघ द्वारा वितरकशिप निरस्त कर दी जावेगी एवं अमानत राशि राजसात कर ली जावेंगी।

16. फुटकर विक्रेताओं से आइसक्रीम की राशि वसूली करना आइसक्रीम वितरक का कार्य होगा। वितरक एवं फुटकर विक्रेताओं के बीच किसी भी प्रकार की वचनबद्धता एवं विवाद के लिए दुग्ध संघ जवाबदार नहीं होगा।
17. दुग्ध संघ द्वारा वितरक को उसकी अग्रिम मांग अनुसार अग्रिम भुगतान करने पर ही आइसक्रीम दैनिक रूप से उपलब्ध कराये जाएंगे, एक बार आइसक्रीम प्रदाय होने पर दुग्ध संघ द्वारा वापस नहीं लिये जाएगें।
18. दुग्ध संघ के आइसक्रीम की शेल्फ–लाइफ न्यूनतम 6 माह तक होती है अतः वितरक का यह दायित्व होगा कि वह आइसक्रीम की अग्रिम मांग शेल्फ–लाइफ को देखते हुए देवें। ताकि निर्धारित समयावधि में अर्थात आइसक्रीम की गुणवत्ता को विपरीत रूप से गुणवत्ता प्रभावित होने के पूर्व ही फुटकर विक्रेताओं को उपलब्ध कराए। फुटकर विक्रेताओं को शेल्फ–लाइफ की जानकारी देकर नियमानुसार कार्य करने हेतु जागरूक करने की जवाबदारी वितरक की होगी।
19. आइसक्रीम वितरक के पास जी.एस.टी नम्बर होना अनिवार्य है, समस्त टैक्स जमा करने की जिम्मेदारी आइसक्रीम वितरक की होगी। साथ ही आइसक्रीम वितरक को म.प्र. शासन/भारत सरकार द्वारा समय–समय पर लागू किये गये अन्य टैक्स भी जमा कराना अनिवार्य होगा।
20. आवंटित क्षेत्र में आइसक्रीम वितरक को 100% क्षेत्र कवर करना एवं आइसक्रीम का विक्रय लक्ष्य अनुसार किया जाना आवश्यक होगा।
21. सफल आवेदनकर्ता को आइसक्रीम के विक्रय हेतु वार्षिक लक्ष्य निर्धारित किए जाएंगे, जिसे उसे अनुबंध अवधि में लक्ष्यों की प्रतिबद्धता के विरूद्ध उपलब्धी प्राप्त करना होगा। लक्ष्यों के विरूद्ध उपलब्धी आशानुरूप नहीं होने पर आइसक्रीम वितरक सह–परिवहनकर्ता का कार्य निरंतर जारी करने/समाप्त करने का निर्णय मुख्य कार्यपालन अधिकारी, भोपाल दुग्ध संघ के पास निहीत होगा। लक्ष्यों की समीक्षा त्रैमासिक की जावेगी। त्रैमासिक अवधि में लक्ष्यों की प्रतिबद्धता के विरूद्ध उपलब्धी प्राप्त नहीं की जाती है तो आगामी समीक्षा छः माह के पश्चात् की जाएगी। यदि इस अवधि में लक्ष्यों के विरूद्ध उपलब्धी हासिल नहीं की जाती है तो ऐसी स्थिति में दुग्ध संघ का निर्णय सर्वोपरि होगा।
22. आइसक्रीम वितरक दुग्ध संघ द्वारा चाही गई जानकारियां निर्दिष्ट किए गए प्रारूप में समय–समय पर प्रस्तुत करेंगे।
23. दुग्ध संघ द्वारा पत्र/परिपत्र के माध्यम से समय–समय पर जो भी निर्देश जारी किये जाऐंगे उनका पालन करना आइसक्रीम वितरक को अनिवार्य होगा एवं इन परिपत्रों/पत्रों को अनुबंध का भाग माना जाएगा।
24. एक अथवा समस्त आवेदनों को सकारण निरस्त करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी के पास सुरक्षित रहेगा।
25. आइसक्रीम वाहन में जीपीएस सिस्टम दुग्ध संघ के माध्यम से लगवाया जायेगा, जिसका लागत व्यय आइसक्रीम वितरक को तत्काल दुग्ध संघ में जमा करना अनिवार्य होगा।
26. कार्य आदेश जारी करने के पूर्व आइसक्रीम वाहन पर विनाइल फ्लेक्स साँची विज्ञापन डिस्प्ले हेतु लगाए जाऐंगें। जिसकी प्रिंटिंग खराब हो जाने पर तत्काल नया फ्लेक्स लगाने की जिम्मेदारी आइसक्रीम वितरक की होगी अन्यथा वितरकशिप बंद कर दी जायेगी।
27. दुग्ध संघ द्वारा आइसक्रीम वितरक को आइसक्रीम प्रदाय के उपरांत सम्पूर्ण जवाबदारी वितरक की होगी। अतः वितरक सामग्री लेने के पूर्व सामग्रियों की पूर्ण संतुष्टि के साथ जांच कर लेंगे। रिटेलर तक गुणवत्ता युक्त सामग्री पहुँचाने की सम्पूर्ण जवाबदारी वितरक की होगी।
28. आइसक्रीम वितरक आवंटित कार्य किसी अन्य व्यक्ति/पार्टी को हस्तांतरित नहीं करेगा। ऐसा करते पाये जाने पर तत्काल प्रभाव से अनुबंध निरस्त कर कार्य से पृथक कर दिया जायेगा।
29. अनुबंध अवधि में आइसक्रीम वितरक को प्रोपेराइटर में परिवर्तन करने का अधिकार नही होगा। यदि आइसक्रीम वितरक अपरिहार्य कारणों से प्रोपेराइटर बदलना चाहता है तो उसे सर्वप्रथम दुग्ध संघ प्रबंधन से अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा। अन्यथा ऐसा करते नही पाए जाने की स्थिति में आइसक्रीम वितरक की निविदा बिना किसी पूर्व सूचना के निरस्त कर, तथा उसे ब्लेक लिस्ट कर उसकी दुग्ध संघ में जमा प्रतिभूति राशि राजसात कर ली जाएगी। साथ ही वैकल्पिक व्यवस्था के तहत आवंटित जोन पर अन्य ठेकेदार से आइसक्रीम का कार्य कराने हेतु दुग्ध संघ स्वतंत्र होगा।
30. वितरक किसी भी समय आवश्यकता पड़ने पर व आव्हान करने पर भोपाल दुग्ध संघ को अपना स्टाक, रिकार्ड, कोल्ड स्टोर एवं अन्य वितरकशिप से संबंधित व्यवस्थाओ की जॉच कराएगा।

जरूरत पड़ने पर आइसक्रीम मार्केट से रिकाल करने में वितरक परिस्थितियों के अनुरूप दुग्ध संघ के निर्देशानुसार सभी आवश्यक कदम उठायेगा।

31. आईसक्रीम की प्रदायगी के पश्चात् किसी भी स्तर पर आइसक्रीम की प्रक्रिया, मिश्रण आदि में फेरबदल किया जाता है तो दुग्ध संघ की कोई जवाबदारी नही होगी।
32. आवेदनकर्ता के पास स्वयं का आईसक्रीम के भंडारण हेतु कोल्ड स्टोरेज जिसकी न्यूनतम क्षमता लगभग 01 लाख लीटर की हो, होना अनिवार्य है। आईसक्रीम के उचित प्रशीतन हेतु कोल्ड स्टोरेज में (–18 डिग्री) का तापमान का होना अनिवार्य है।
33. आवेदनकर्ता का स्वयं का फोकल प्वांइट होना अनिवार्य होगा। दुग्ध संघ द्वारा आवेदनकर्ता को उसके फोकल प्वांइट पर प्रदाय किया जाएगा। जिसे आवेदनकर्ता को उसे आवंटित जोन में स्थित आउटलेटस् में का वितरण करना होगा।
34. वितरक को उसकी अग्रिम डिमांड एकजाई कर प्रति सप्ताह दुग्ध संघ में प्रस्तुत करनी होगी। दुग्ध संघ द्वारा मांग के अनुसार आवेदक के फोकल प्वाइंट पर आईसक्रीम की प्रदायगी की जाएगी। तत्पश्चात् आवेदक अपने फोकल प्वाइंट से फुटकर विक्रेताओं को अपने रेफ्रिजरेटेड आईसक्रीम वाहन से उनकी मांग के अनुसार प्रदायगी सुनिश्चित करेंगे।
35. यदि पक्षकारों के बीच इस कार्य के विषय में कोई विवाद उत्पन्न हुआ तो, प्रबंध संचालक, एमपीसीडीएफ को प्रकरण निराकरण हेतु प्रस्तुत किया जा सकेगा। निराकरण नहीं होने की स्थिति में आरबीट्रेशन एक्ट 1996 के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही की जा सकेगी।
36. दुग्ध संघ द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशो की अवहेलना की जाने पर वितरक की सुरक्षा राशि राजसात की जावेगी एवं उसे ब्लैक लिस्टेड किया जावेगा।
37. किसी भी विवाद की स्थिति में न्यायालयीन क्षेत्र भोपाल रहेगा।

38. आईसक्रीम वितरण हेतु भोपाल शहर स्थित जोन की विस्तृत जानकारी प्रतिभागी आवेदक, अभिव्यक्ति की अभिरूची सूचना प्रकाशन की तिथी से आवेदन खुलने के 05 दिवस पूर्व तक किसी भी कार्यालयीन दिवस में दुग्ध संघ के विपणन कार्यालय से लिखित आवेदन प्रस्तुत कर प्राप्त कर सकते है।
39. आवेदन खोले जाने के उपरांत किसी भी स्थिति में आवेदनकर्ताओं के अन्य कारण स्वीकार नही होंगें।
40. आवेदन प्राप्ति की तिथि व समय में अवकाश घोषित होने पर भी परिवर्तन नहीं होगा यदि आवेदन की तकनीकी बिड खोलने के लिए निर्धारित तारीख को अवकाश घोषित किया जाता है, तो संबंधित EOI के संबंधित दिवस की आवेदन प्रपत्र अगले कार्य दिवस पर पूर्व निर्धारित समय पर खोली जावेंगी ।

मेरे/हमारे द्वारा उपरोक्त समस्त आवंटन की समान्य शर्ते एवं अनुबंध की शर्ते पढ़ ओर समझ ली गई है। मेरे/हमारे द्वारा प्रस्तुत समस्त जानकारी एवं दस्तावेज सत्य है भविष्य में यदि मेरे/हमारे द्वारा प्रस्तुत कोई भी जानकारी या दस्तावेज असत्य पाई जाती है तो संघ द्वारा मेरा/हमारा आवंटन निरस्त कर संघ में जमा प्रतिभूति राशि राजसात कर कार्यवाही की जाती है तो मुझे/हमें मान्य होगी। मुझे/हमें उपरोक्त समस्त नियम व शर्ते मान्य है। मेरे/हमारे द्वारा दुग्ध संघ के समस्त निर्देशो का परिपालन किया जावेगा, उल्लंघन करते पाये जाने पर दुग्ध संघ को मेरा/हमारा आवंटन निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा।

आवेदक का नाम एवं हस्ताक्षर

प्रपत्र क्र.03

साँची आईसक्रीम वितरक सह–परिवहनकर्ता कार्य हेतु नवीन आवेदन पत्र

आवेदनकर्ता स्वयं का स्वहस्ताक्षरित रंगीन फोटो चस्पा करें।

1. आवेदक/फर्म/पार्टनरशिप/कम्पनी का नाम ....
....
2. प्रोप्राइटर का नाम ....
3. पिता का नाम ....
4. स्थाई/वर्तमान पता ....
....
....
....

5. प्रस्तावित जोन का नाम :– ....

(आवेदक जिस जोन हेतु आवेदन प्रस्तुत करना चाहते है। उस जोन का नाम ऊपर लिखें)

5. दूरभाष/मोबाईल नं. ....
6. FSSAI लाइसेंस नं ....
7. जी.एस.टी नम्बर ....
8. पेन कार्ड नम्बर ....

मेरे/हमारे द्वारा साँची आइसक्रीम की वितरकशिप संबंधि इस फार्म के साथ संलग्न समस्त शर्ते पढ़ और समझ चुका/चुकी हूं और मान्य करता/करती हूं। इस हेतु मेरे /हमारे द्वारा शर्ते हस्ताक्षरित कर फार्म के साथ संलग्न की है। आवेदन पत्र में मेरे/हमारे द्वारा दी गई जानकारी पूर्णतः सत्य है।

आवेदक के हस्ताक्षर
नाम

<u>प्रपत्र क्र.04</u>

शपथ पत्र का प्रारूप

<u>(केवल रू. 100/– के नोटराइज्ड स्टॉम्प पर प्रस्तुत करें)</u>

मै/हम .... आत्मज .... आयु .... निवासी ....यह कि मेरे/हमारे द्वारा भोपाल सहकारी दुग्ध संघ के भोपाल शहर के जोन .... में आईसक्रीम वितरक सह–परिवहनकर्ता कार्य हेतु निविदा प्रस्तुत की गई है। यह कि मेरे/हमारे द्वारा यह शपथ पत्र अपने पूर्ण होशो हवास में मेरे/हमारे संज्ञान में प्रस्तुत किया जा रहा है।

1. यह कि मुझे/हमे किसी भी शासकीय/अशासकीय संस्था द्वारा कभी भी किसी भी कार्य से अद्यतन स्थिति तक ब्लैक लिस्टेड नही किया गया है।
2. यह कि मेरा/हमारा अद्यतन स्थिति तक .... (संबद्ध दुग्ध संघ/कंपनी का नाम अंकित करें) द्वारा किसी भी पुलिस थाने/मा.न्यायालय में किसी भी प्रकार का कोई आपराधिक प्रकरण दर्ज नही है।

1. गवाह
   नामः–..
   पताः– ....
   आधारकार्ड नं. ....
   मोबाइल नं...
2. गवाह
   नामः–..
   पताः– ....
   आधारकार्ड नं. ....
   मोबाइल नं...

इति दिनांक .... भोपाल **हस्ताक्षर शपथग्राहिता ....**

<u>सत्यापन</u>

मैं शपथग्रहिता शपथपूर्वक सत्य कथन करता हुँ कि उपरोक्त शपथ पत्र की पद संख्या 01 एवं 02 में वर्णित संपूर्ण कथन मेरे निजी ज्ञान के अधार पर सत्य एवं सही है। इससे कुछ भी छिपाया नहीं गया है।

इति दिनांक .... भोपाल **हस्ताक्षर शपथग्राहिता ....**

प्रपत्र क्र.05

शपथ पत्र का प्रारूप

(केवल रू. 100/– के नोटराइज्ड स्टॉम्प पर प्रस्तुत करें)

मै/हम .... आत्मज............... आयु..................... निवासी........................ .... यह स्वप्रमाणित करते है कि मुझे/हमें आईसक्रीम वितरक सह–परिवहनकर्ता/वितरक कार्य का कुल 05 वर्ष का अनुभव है। मेरे/हमारे द्वारा यह शपथ पत्र अपने पूर्ण होशो हावाश एवं ईमानदारीपूर्वक प्रस्तुत किया जा रहा है। जो कि पूर्णतया सत्य एवं सही है। यदि अनुबंध अवधि में इस संबंध में मेरे विरूद्ध किसी भी प्रकार की शिकायत पाई जाती है एवं यह शपथ पत्र कि प्रमाणिकता असत्य पाई जाती है तो दुग्ध संघ प्रबंधन मेरे/हमारे विरूद्ध किसी भी प्रकार की कार्यवाही करने के लिए दुग्ध संघ प्रबंधन स्वतंत्र होगा। जिसकी समस्त जवाबदेही मेरी/हमारी स्वयं की होगीं

हस्ताक्षर शपथग्राहिता ....

सत्यापन

मैं शपथग्रहिता शपथपूर्वक सत्य कथन करता हुँ कि उपरोक्त शपथ पत्र में वर्णित संपूर्ण कथन मेरे निजी ज्ञान के अधार पर सत्य एवं सही है। इससे कुछ भी छिपाया नहीं गया है।

हस्ताक्षर शपथग्राहिता ....

(केवल अवलोकन हेतु)

साँची आईसक्रीम वितरक सह–परिवहनकर्ता कार्य अनुबंध (भोपाल शहर विपणन)

यह अनुबंध आज दिनांक.................................... को मुख्य कार्यपालन अधिकारी, भोपाल सहकारी दुग्ध संघ, मर्यादित, हबीबगंज, भोपाल जिसे आगे प्रथम पक्ष के नाम से संबोधित किया जावेगा एवं मेसर्स .... भोपाल द्वारा पार्टनर श्री ....से बतौर साँची आईसक्रीम वितरक सह–परिवहनकर्ता (द्वितीय पक्ष) की हैसियत से दुग्ध संघ द्वारा मार्ग क्रमांक .... के लिए दिनांक .... से दिनांक .... तक अवधि वास्ते अनुबंधित कर हस्ताक्षरित किया गया है। इन्हें आगे बतौर द्वितीय पक्ष के रूप में भी संबोधित किया जावेगा। इस अनुबंध के दोनों ही पक्ष परस्पर सहमत हों, स्वीकार करते हैं कि प्रथम पक्ष द्वारा प्रकाशित अभिरूचि की अभिव्यक्ति तथा पक्ष क्र.02 द्वारा निष्पादित व हस्ताक्षरित कर आवेदन प्रपत्र क्र.01 एवं प्रपत्र क्र.02 में उल्लेखित समस्त तथ्य एवं शर्त आदि इस लिखित अनुबंध की अंतरवस्तु के अटूट भाग होकर दोनों ही पक्षों पर समान रूप से बंधनकारी होंगे।

1. यह अनुबंध विशुद्ध रूप से व्यावसायिक अनुबंध है तथा इसके तहत् साँची आईसक्रीम की वितरकशिप को एक माह की पूर्व सूचना देकर दुग्ध संघ के हित में यह अनुबंध निरस्त करने का अधिकार दुग्ध संघ का होगा। द्वितीय पक्ष इस अनुबंध के तहत् कार्य नहीं करना चाहता है तो, उसे दुग्ध संघ को एक माह का लिखित अग्रिम नोटिस साँची आईसक्रीम् की वितरकशिप का कार्य छोड़ने बावत् देना होगा।
2. मध्य प्रदेश राज्य के MSME उद्यमियों के लिए ईएमडी राशि में छूट रहेगी। परंतु MSME उद्यमियों को ऑन लाईन MSME के रजिस्ट्रेशन की प्रति संलन करना अनिवार्य होगा। बिना रजिस्ट्रेशन के आवेदन अमान्य किया जाएगा।
3. द्वितीय पक्ष को दुग्ध संघ के पास अमानत राशि रू.500000/– शब्दों में (पांच लाख रूपये मात्र) जिसमें 60 प्रतिशत नगद राशि डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से जो कि पेयबल एट '' भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित,भोपाल के नाम से देय होगी एवं 40 प्रतिशत राशि संयुक्त एफडीआर दुग्ध संघ में जमा करावेगा। दुग्ध संघ में जमा की गई नगद प्रतिभूति राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।
4. द्वितीय पक्ष द्वारा दुग्ध संघ में जमा की गई सुरक्षा निधि, वितरकशिप अवधि पूर्ण होने पर तथा दुग्ध संघ को अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने के बाद सुरक्षा निधि वापस करने की कार्यवाही की जाएगी। सुरक्षा निधि पर कोई ब्याज देय नही होगा।
5. द्वितीय पक्ष ,दुग्ध संघ द्वारा **जोन**................ पर स्थित आईसक्रीम, निर्धारित विक्रय केन्द्रों, (जिनकी संख्या दुग्ध संघ अपनी आवश्यकतानुसार घटा या बढ़ा सकता है) पर साँची आईसक्रीम् दुग्ध संघ द्वारा निर्धारित समयावधि में विक्रय केन्द्रों के माध्यम से विपणन व्यवस्था सुनिश्चित करेगा।
6. द्वितीय पक्ष, दुग्ध विक्रय एजेन्टों को आईसक्रीम की मांग अनुसार पूर्ण रूप से प्रदाय की व्यवस्था करेंगा।
7. द्वितीय पक्ष निर्धारित दर पर ही आईसक्रीम् विक्रय एजेन्ट को प्रदाय करेगा। यदि ऐसा पाया जाता है कि द्वितीय पक्ष,दुग्ध संघ द्वारा निर्धारित दर से अधिक दर पर विक्रय ऐजन्टों से वसूली कर रहा है, तो प्रथम पक्ष, द्वितीय पक्ष पर पेनल्टी लगा सकेगा एवं इस प्रक्रिया की बार–बार पुर्नरावृत्ति की स्थिति में वितरकशिप समाप्त की जाएगी।
8. द्वितीय पक्ष के प्रतिनिधि, डेयरी संयंत्र के प्रतिबंधित क्षेत्र यथा लेब, कोल्ड स्टोर, संसाधन, पैकेजिंग कक्ष में नहीं जावेंगे। प्रतिबंधित क्षेत्र में पाये जाने पर संघ जो भी दण्ड तय करेगा वह वितरक को मान्य होगा।
9. वितरण वाहन पर कार्यरत स्टॉफ द्वारा मांग पत्र/प्रदाय विवरण (चालान) के कागज को फाड़कर नही फेकेंगें। औचक निरीक्षण के दौरान चालान मांगे जाने पर उसे प्रबंध के समक्ष प्रस्तुत करना होगा अन्यथा ऐसा करते नही पाए जाने पर रू. 1000/– का अर्थदंड अधिरोपित किया जाएगा। पुनर्रावृत्ति होने पर ठेका निरस्त किया जा जाएगा।
10. द्वितीय पक्ष को प्रतिदिन आईसक्रीम विक्रय राशि का भुगतान आर.टी.जी.एस (ई–पेमेंट) के माध्यम से अग्रिम करना होगा। ई–पेमेंट के माध्यम से प्राप्त भुगतान की जानकारी वित्त शाखा द्वारा विपणन शाखा को उपलब्ध कराने पर संबंधित वितरक को आइसक्रीम प्रदाय किया जायेगा। कार्य

आदेश जारी होने के पूर्व द्वितीय पक्ष को संघ में प्रचलित खाते की स्वहस्ताक्षरित धनादेश पुस्तिका जिसके धनादेश पत्रकों में तिथि व धनराशि के स्थान को रिक्त छोड़कर इस उद्देश्य हेतु जमा करना होगी की शासकीय अवकाश अथवा स्वयं वितरक की भोपाल में अनुपस्थिति आदि जैसी अपरिहार्य परिस्थितियों में दुग्ध संघ द्वारा प्रदाय किए गए/किए जाने वाले दुग्ध उत्पादों की मूल्य राशियों को व दुग्ध उत्पाद प्रदाय की सुसंगत तिथियों को उक्त धनादेश में भरकर बैंक में प्रस्तुत कर प्रदाय किए गए/किए जाने वाले दुग्ध उत्पादों की बकाया राशि का भुगतान प्राप्त किया जा सके व आईसक्रीम के वितरण निरंतरता निर्बाध बनी रहे। द्वितीय पक्ष एवं उसके कर्मचारी/प्रतिनिधि को प्रत्येक बार आईसक्रीम के संदाय को प्राप्त करने के पूर्व ही, उसके जमा की गई धनादेश पुस्तिका को जारी करने वाले बैंक खाते में आवश्यक धनराशि की उपलब्धता सुनिश्चित करनी होगी, ताकि प्राप्त किए गए आईसक्रीम के मूल्य की राशि समय पर संघ को प्राप्त हो जाएगा।

11. द्वितीय पक्ष के प्रत्येक अनादरित धनादेश पर अर्थदंड निम्नानुसार वसूल किया जाएगा :—

(क) रू.20.00 लाख तक अनादरित धनादेश की कुल राशि पर धनादेश के निरादरित होने की तिथि से प्रथम 7 दिवस के लिए प्रत्येक दिन के अर्थदंड की राशि रू.1000/— के मान से होगी। रू.20.00 लाख से अधिक के धनादेश निरादरित होने पर अर्थदंड रू.2000/— प्रतिदिन के मान से वसूली योग्य होगा।

(ख) यदि धनादेश के जारी होने के दिनांक से प्रथम 7 दिवस के अंदर आईसक्रीम वितरक द्वारा लागू अर्थदंड के साथ दुग्ध संघ के खाते में राशि जमा नहीं की जाती है तो 8वें दिवस से 14वें दिवस के लिए अर्थदंड की राशि रू.20.00 लाख तक के धनादेश हेतु रू.2000/— प्रति दिवस के मान से वसूल की जाएगी एवं रू.20.00 लाख से अधिक के धनादेश हेतु रू.4000/— प्रति दिवस के मान से वसूल की जाएगी।

(ग) यदि इसके पश्चात् भी द्वितीय पक्ष द्वारा मूल राशि के साथ—साथ लागू उक्त अर्थदंड की राशि दुग्ध संघ के खाते में जमा नहीं की जाती है तो 15वें दिवस से राशि जमा करने के दिनांक तक रू.20.00 लाख तक के धनादेश हेतु अर्थदंड की राशि रू.3000/— प्रति दिवस के मान से वसूल की जाएगी एवं रू.20.00 लाख से अधिक के धनादेश हेतु रू.6000/— प्रति दिवस के मान से वसूल की जाएगी।

(घ) द्वितीय पक्ष के अनादरित धनादेश की मूल राशि के साथ—साथ लागू अर्थदंड की राशि को नगद में जमा करना सुनिश्चित किया जाएगा ताकि अर्थदंड की सही मान से गणना सुनिश्चित की जा सके तथा दुग्ध संघ को आर्थिक नुकसान से बचाया जा सके।

(च) एक माह में किसी भी वितरक के अधिकतम 3 धनादेश अनादरित होने पर उनको आवंटित कार्य निरस्त कर दिया जायेगा, जिस हेतु वितरक स्वयं जवाबदेह होगा।

(छ) इसके अंतर्गत जैसे ही वितरक के खाते से 2 धनादेश अनादरित होते हैं, दुग्ध संघ द्वारा द्वितीय पक्ष को सचेत करते हुए अंतिम चेतावनी जारी की जाएगी। तत्पश्चात् यदि तीसरा धनादेश भी अनादरित हो जाता है तो इस स्थिति में संबंधित वितरक को सूचित करते हुए उसका कार्य आवंटन आदेश तत्काल निरस्त किया जाएगा।

12. द्वितीय पक्ष को वाहन में वाहन चालक के अतिरिक्त एक लेबर लोडिंग/अनलोडिंग हेतु आवश्यक रूप से रखना होगा। कार्य Compensation Act. अनुसार सभी कर्मचारियों का बीमा होना आवश्यक है, जिसकी छायाप्रति कार्य आवंटन उपरांत दुग्ध संघ कार्यालय में जमा कराना आवश्यक होगा।

13. द्वितीय पक्ष को वाहन चालक एवं लेबर का नाम व पता संघ को लिखित में सूचित करना होगा एवं इनका पुलिस वेरिफिकेशन कराया जाना आवश्यक होगा।

14. प्रथम पक्ष द्वारा किसी भी वाहन चालक व आईसक्रीम वाहन में कार्यरत लेबर को दुग्ध संघ परिसर में आने हेतु किसी भी कारण से यदि मना किया गया है तो, उस वाहन चालक व लेबर को कोई भी अन्य साँची आईसक्रीम का वितरक अपनें वाहन में वितरण कार्य हेतु नहीं लगायेगा। इस शर्त का उल्लघंन करते पाये जानें पर साँची आईसक्रीम की वितरकशिप बिना नोटिस दिये निरस्त करने हेतु पूर्ण रूपेण प्रथम पक्ष स्वतंत्र होगा।

15. द्वितीय पक्ष को उसके वाहन पर कार्यरत कर्मचारियों का पहचान पत्र बनवाना आवश्यक होगा, जो कि उनके द्वारा सत्यापित होगा, जिसे वाहन चालक एवं वाहन सहायक को डेयरी परिसर में

प्रवेश के दौरान गले में लटकाना अनिवार्य होगा। पहचान पत्र का व्यय द्वितीय पक्ष द्वारा वहन किया जावेगा। इसकी चैकिंग संघ की सुरक्षा शाखा द्वारा की जाऐगी।

16. आईसक्रीम वितरण वाहन में कार्यरत कर्मचारी एवं एजेंटों के बीच उठे विवादों को द्वितीय पक्ष अपनी उपस्थिति में शांतिपूर्वक सुलझावेगा ताकि विवाद न बढ़ने पाये एंव आईसक्रीम वितरण कार्य में किसी प्रकार की रूकावट न आनें दें।
17. द्वितीय पक्ष को उसके वाहन पर कार्यरत कर्मचारियों की संघ द्वारा निर्धारित यूनिफार्म बनवाना आवश्यक होगा, जिसे वाहन चालक एवं वाहन सहायक को पहनना अनिवार्य होगा। यूनिफार्म का व्यय द्वितीय पक्ष द्वारा वहन किया जावेगा। इसकी चैकिंग दुग्ध संघ की सुरक्षा शाखा द्वारा की जाऐगी।
18. द्वितीय पक्ष किसी भी समय आवश्यकता पड़ने पर प्रथम पक्ष को अपना स्टाक, रिकार्ड, गोडाउन,कोल्ड स्टोरेज एवं अन्य वितरकशिप से संबंधित व्यवस्थाओ की जॉच कराएगा।
19. प्रथम पक्ष किसी भी समय अनुबंध की नियम एवं शर्तो को जोड़ने, हटाने एवं स्पष्ट करने का विशेषाधिकार रखेगा जो कि द्वितीय पक्ष पर बाध्यकारी रहेगा।
20. जरूरत पड़ने पर आईसक्रीम मार्केट से रिकाल करने में द्वितीय पक्ष परिस्थितियों के अनुरूप प्रथम पक्ष के निर्देशानुसार आवश्यक कदम उठायेगा।
21. आईसक्रीम की प्रदायगी के पश्चात् किसी भी स्तर पर आईसक्रीम की प्रक्रिया, मिश्रण आदि में फेरबदल किया जाता है तो प्रथम पक्ष की कोई जवाबदारी नही होगी।
22. द्वितीय पक्ष् शासन के समस्त निर्धारित करों आदि के भुगतान हेतु पूर्ण/रूपेण जबावदार होगा तथा केन्द्र शासन/राज्य शासन के इस विषय पर समय–समय पर दिये गये निर्देशों के पालनार्थ पूर्ण रूपेण वाध्य होगा। ऐसा न करने की स्थिति में संबंधित समस्त कानूनी कार्यवाही द्वितीय पक्ष के विरूद्ध की जा सकेगी।
23. द्वितीय पक्ष, आईसक्रीम प्रथम पक्ष की सहमति से अपने निर्धारित मार्ग पर विक्रय केन्द्रों की संख्या बढोत्तरी हेतु प्रस्ताव निर्धारित प्रपत्र में प्रस्तुत कराएगा। विक्रय केन्द्र आवंटन की प्रक्रिया संघ द्वारा पूर्ण की जाएगी।
24. द्वितीय पक्ष को आवंटित कार्य किसी अन्य को हस्तांतरित नहीं करेगा एवं न ही उपठेकेदार नियुक्त कर सकेगा। ऐसा करते पाये जाने पर प्रथम पक्ष बिना कोई नोटिस दिये आवंटित मार्ग निरस्त कर सकेगा, तथा उसकी जमानत राशि राजसात कर सकेगा।
25. आवंटित क्षेत्र में द्वितीय पक्ष को 100% क्षेत्र कवर करना एवं आईसक्रीम का विक्रय लक्ष्य अनुसार किया जाना आवश्यक होगा।
26. यह अनुबंध तीन वर्ष के लिए प्रभावशील रहेगा। प्रथम पक्ष द्वारा द्वितीय पक्ष का कार्य तीन वर्ष की अवधि में संतोषप्रद होने पर अनुबंध की समान शर्तो के अंतर्गत कार्य अवधि अधिकतम दो वर्ष हेतु आपसी सहमति से बढ़ाई जा सकेगी।
27. द्वितीय पक्ष को आईसक्रीम के विक्रय हेतु वार्षिक लक्ष्य निर्धारित किए जाएंगे, जिसे उसे अनुबंध अवधि में लक्ष्यों के विरूद्ध उपलब्धी प्राप्त करना होगा। लक्ष्यों के विरूद्ध उपलब्धी आशानुरूप नहीं होने पर द्वितीय पक्ष का कार्य निरंतर रखने का निर्णय प्रथम पक्ष के पास निहीत होगा। लक्ष्यों की समीक्षा त्रैमासिक की जावेगी। त्रैमासिक अवधि में लक्ष्यों की प्रतिबद्धता के विरूद्ध उपलब्धी प्राप्त नहीं की जाती है तो आगामी समीक्षा छः माह के पश्चात् की जाएगी। यदि इस अवधि में लक्ष्यों के विरूद्ध उपलब्धी हासिल नहीं की जाती है तो ऐसी स्थिति में प्रथम पक्ष का निर्णय सर्वोपरि होगा।
28. समय–समय पर दुग्ध प्रथम पक्ष द्वारा द्वितीय पक्ष को आईसक्रीम विक्रय प्रोत्साहन हेतु दिये गये निर्देशों का पालन करने हेतु द्वितीय पक्ष बाध्य होगा एवं यदि प्रथम पक्ष यह पाता है कि द्वितीय पक्ष विक्रय प्रोत्साहन हेतु आवश्यक प्रयास नहीं कर रहा है या कर पा रहा है, या उसे दिये समय–समय पर दिशा निर्देशों का पालन नहीं कर रहा है। जो विक्रय प्रोत्साहन कार्य के लिए आवश्यक है, तो ऐसी स्थिति में प्रथम पक्ष अपनें व्यावसायिक हितों को सर्वोपरि रखते हुये द्वितीय पक्ष को कार्य से पृथक करने हेतु स्वतंत्र होगा।
29. साँची आईसक्रीम् वितरक सह–परिवहनकर्ता कार्य हेतु द्वितीय पक्ष का निर्धारित मापदंड अनुसार इन्सुलेटेड एवं रेफ्रिजरेटेड वाहन स्वंय के नाम से पंजीकृत होना अनिवार्य है।

30. द्वितीय पक्ष को वितरण कार्य आरंभ करने से पूर्व दुग्ध संघ कार्यालय को वाहन के पंजीकरण से सम्बंधित समस्त दस्तावेज का निरीक्षण संघ के संबंधित सहायक महाप्रबंधक विपणन को कराना आवश्यक होगा तथा इन दस्तावेजों की एक छायाप्रति संघ कार्यालय में जमा करनी होगी। वाहन कार्य पर लगाने से पूर्व उसका भौतिक सत्यापन संबंधित सहायक महाप्रबंधक विपणन से कराना होगा।
31. द्वितीय पक्ष द्वारा वाहन पंजीकरण से सम्बंधित दस्तावेजों मे परिवर्तन बिना प्रथम पक्ष की अनुमति के बिना नहीं किया जावेगा। यदि किसी कारणवश द्वितीय पक्ष दुग्ध संघ से अनुबंधित वाहन विक्रय करता है या उसे बदलना चाहता है, तो इस हेतु प्रथम पक्ष की पूर्वानुमति लेना आवश्यक है, तथा वाहन के विक्रय/बदलने के पूर्व वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित करना द्वितीय पक्ष का दायित्व होगा।
32. प्रथम पक्ष द्वारा द्वितीय पक्ष के मार्ग पर निर्धारित किये गये आईसक्रीम विक्रय केन्द्रों पर द्वितीय पक्ष द्वारा नियमित रूप से आईसक्रीम प्रदाय किया जावेगा, यदि किसी कारणवश द्वितीय पक्ष किसी आईसक्रीम वितरण केन्द्र पर आईसक्रीम प्रदाय बंद करने हेतु बाध्य होता है, तो उसे सम्पूर्ण प्रकरण लिखित में दुग्ध संघ कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा तथा दुग्ध संघ के सक्षम अधिकारी की अनुमति प्राप्त होने पर ही आईसक्रीम प्रदाय संबंधित विक्रय केन्द्रो पर बंद कर सकेगा। यदि द्वितीय पक्ष द्वारा बिना प्रथम पक्ष की अनुमति के किसी आईसक्रीम विक्रय केन्द्र पर आईसक्रीम प्रदाय बंद किया जाता है तो प्रथम पक्ष को हुई हानि के बराबर राशि वसूली जावेगी।
33. वाहन में डी.एम./चालान से अधिक माल प्रबंध द्वारा पकड़े जाने पर प्रथम बार माल की 50 गुना राशि वसूली जाएगी, बार–बार पुनरावृत्ति होने पर आवंटित वितरकशिप निरस्त कर अमानत राशि राजसात कर ली जाएगी।
34. डेयरी परिसर के अंदर द्वितीय पक्ष के अधीन कार्यरत वाहन चालक द्वारा धूम्रपान, तम्बाखू, शराब आदि का सेवन करने पर प्रथमतः अर्थदण्ड राशि रू.1000/– वितरक से वसूला जावेगा। पुनः वाहन चालक द्वारा उक्त कृत्य की पुनरावृत्ति करने पर दुग्ध संघ द्वारा डेयरी परिसर में वाहन चालक का प्रवेश निषेध कर दिया जावेगा।
35. द्वितीय पक्ष अथवा उसके कार्यरत स्टॉफ के कारण आईसक्रीम वितरण बाधित होता है तो प्रथम पक्ष को हुए नुकसान की सम्पूर्ण भरपाई संबंधित आईसक्रीम वितरक से किया जावेगा।
36. द्वितीय पक्ष अथवा उसके प्रतिनिधियों द्वारा दुग्ध संघ के कर्मचारियों/अधिकारियों /संचालकों के साथ अभद्र व्यवहार किये जाने पर संघ द्वारा निर्देशित कार्यवाही द्वितीय पक्ष को करनी होगी। आदेशों का पालन न करने की दशा में किसी भी समय आवंटन निरस्त करने का अधिकार दुग्ध संघ को रहेगा।
37. उपरोक्त शर्तों के पालन में तथा दुग्ध संघ द्वारा समय–समय पर दिये गये निर्देशों/आदेशों एवं सूचनाओं का द्वितीय पक्षकार द्वारा पालन न करने की दशा में किसी भी समय आवंटन निरस्त करने का अधिकार प्रथम पक्षकार को रहेगा।
38. द्वितीय पक्ष भोपाल दुग्ध संघ के अतिरिक्त किसी भी अन्य उत्पादक का आईसक्रीम वितरण/विक्रय करने से पूर्णतः निषेधित रहेगा। यदि ऐसा करते पाया जाता है तो उसे तत्काल बिना नोटिस दिए वितरकशिप से पृथक कर दिया जावेगा।
39. दुग्ध संघ द्वारा किसी भी जोन अथवा क्षेत्र में स्थित शासकीय संस्था, प्राइवेट संस्था, माडर्न ट्रेड के व्यवसाय जैसे वॉलमार्ट, कैटरर, मेस संचालनकर्ता, कैंटीन आदि को सीधे आईसक्रीम प्रदाय करने का अधिकार होगा। इस पर द्वितीय पक्ष को किसी भी प्रकार की आपत्ती नहीं होगी।
40. प्रथम पक्ष द्वारा समय–समय पर जो भी निर्देश वितरकों को पत्रो/परिपत्रों के माध्यम से दिये जावेंगे, वे पत्र/परिपत्र अनुबंध का भाग माने जाएंगे।
41. अभिरूचि की अभिव्यक्ति में आवेदक के लिए निर्धारित की गई आवेदन की नियम व शर्तें,प्रपत्र क्र. 02 इस अनुबंध का भाग मानी जाएंगी।
42. यदि पक्षकारों के मध्य इस कार्य में कोई विवाद उत्पन्न हुआ तो, प्रबंध संचालक, एमपीसीडीएफ को प्रकरण निराकरण हेतु प्रस्तुत किया जा सकेगा। निराकरण न होने की स्थिति में आरबीट्रेशन एक्ट 1996 के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही की जा सकेगी।
43. दुग्ध संघ द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशो की अवहेलना की जाने पर द्वितीय पक्ष की सुरक्षा राशि राजसात की जावेगी एवं ब्लैक लिस्टेड किया जावेगा

44. इस अनुबंध का न्यायायिक कार्यक्षेत्र भोपाल शहर का न्यायालय में रहेगाा। यह अनुबंध उपरोक्त शर्तो के अधीन दुग्ध संघ एवं वितरक सह–परिवहनकर्ता की आपसी रजामंदी के तहत दिनांक...... .... को निष्पादित किया गया है।

मैं .... पिता/पति/पत्नी..साँची आईसक्रीम वितरक सह–परिवहनकर्ता जोन ....अपना उत्तराधिकारी (नॉमिनी) श्री/श्रीमती.. को घोषित करता/ करती हूँ।

साँची आईसक्रीम वितरक के हस्ताक्षर ....
नाम..
पता...

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
भोपाल सह.दुग्ध संघ मर्या.

1.गवाह के हस्ताक्षर ....
नाम एवं पताः–...................................

....
....

2.गवाह के हस्ताक्षर ....
नाम एवं पताः–......................................
....

प्रभारी (विपणन)
भोपाल सह.दुग्ध संघ मर्या.